

- अनुमोदित की जाती है।
- (i) प्रकाशक/सूचना के विभाग की स्वीकृति प्राप्त किए बिना नहीं करनी है।
 - (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, लैंगिक या अन्य) होने की स्थिति में विभाग को कोई जानकारी नहीं दी जायेगी और विभाग किसी भी प्रकार के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 - (iii) प्रकाशक/सूचना के विभाग को कोई भी जानकारी विभाग को नहीं दी जायेगी।
 - (iv) स्वीकृत सूचना के विवरण निर्माण करते समय यह स्वीकृत विभाग की जांच करनी है।

सिद्धांत सिद्धांत केवल संवैधानिक अधिकार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

संख्या 147 दिनांक 26/06/2017

प्रार्थी श्रीमान राम शिवाजी जैवाल बॉर्डर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 104 (7) (घ) के तहत आवेदन

धारण निर्माण हेतु आवश्यक कार्यालय में पत्र

का स्विकारण प्राप्त करने 11482/- रुमा

जमा करने संख्या 028/3153, 3153

दिनांक 26/06/2017 का जवाब देता है।

प. नं०- 11/582 (संविधान) सहायक बॉर्डर

26/6

सहायक नगरपालिका
नगर निगम, जोधपुर

प्रार्थी
नगर निगम, जोधपुर

सी + 1
संवैधानिक

आधार
9351388856